न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 66/2020
3. उनवान : सरकार जरिये चन्दीराम जसवानी प्रवर्तन निरीक्षक

बनाम

1. श्री अहमद पुत्र श्री अब्दुल हकीम निवासी ग्राम गन्डूरी तहसील जिरका गुडगांव (हरियाणा) वाहन चालक वाहन संख्या आरजे–14–जीबी–2507।
2. श्री भरत पारीक पुत्र श्री प्रभुदयाल, निवासी कुचामन सिटी नागौर (राजस्थान)।
3. श्री कमल खण्डेलवाल पुत्र श्री रामपाल खण्डेलवाल मालिक फर्म मैसर्स जगदम्बा ट्रेडिंग कम्पनी, बगरु तहसील सांगानेर।
4. ताहीर पुत्र श्री करीम खां मुसलमान किशनपुरा तहसील मौजमाबाद।

4. निर्णय दिनांक : 01-07-2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
   ब) डॉ. सुनील शर्मा अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से।
   स) श्री बलबीर सिंह शेखावत अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से।
   ग) श्री कैलाश दत्त शर्मा अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से।
   घ) श्री प्रदीप कुमार शर्मा अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, जयपुर श्री चन्दीराम जसवानी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 मय फर्द मौका पर्चा, बयान, फर्द नक्शा मौका, फर्द तकपट्टी, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा, फर्द सेम्पल व नमूना आदि दिनांक 06.10.2009 को पेश किया गया। प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 30.09.2009 को श्रीमान जिला रसद अधिकारी, जयपुर के निर्देशानुसार प्रार्थी ने बहमराह प्रवर्तन स्टॉफ एवं रुबरु मौतबिरान के पुलिस चौकी भांकरोटा के सामने अजमेर रोड जयपुर पर ट्रक संख्या आरजे–14–जीबी–2507 को रोककर वाहन चालक श्री अहमद से पूछताछ की तो वाहन चालक ने बताया कि इस ट्रक में 90 बोरी मूंग (90 क्विंटल) भरी है जो बगरु अनाज मण्डी से श्री भरत पारीक द्वारा भराई गई है। उसी समय श्री भरत पारीक भी उपस्थित हो गये। मौके पर वाहन चालक ने राजस्थान कार्गो मूवर्स की एक बिल्टी क्रमांक 1441 दिनांक 30.09.2009 भेजने वाला मैसर्स जितेन्द्र ट्रेडिंग कम्पनी व पाने वाला आकाश ट्रेडर्स, दिल्ली, मैसर्स जितेन्द्र ट्रैडिंग कम्पनी अजमेर का एक बिल क्रमांक 1004 दिनांक 30.09.2009 तथा चालान प्रति क्रमांक 1454 दिनांक 30.09.2009 प्रस्तुत की गई जिसकी तारीखों पर ओवर राईटिंग की गई थी साथ ही अन्य बिल व बिल्टियां क्रमशः राजस्थान कार्गो मूवर्स की बिना तारीख की बिल्टी नम्बर 1486 भेजने वाला मैसर्स जितेन्द्र ट्रैडिंग कम्पनी पाने वाला आकाश ट्रैडर्स दिल्ली जिस पर 30 बैग गल्ला अंकित किया हुआ व बिल बिना तारीख का मैसर्स जितेन्द्र ट्रैडिंग कम्पनी का जिस पर 30 क्विंटल मूंग अंकित किया हुआ, उदय भारत ट्रांसपोर्ट कम्पनी की दो प्रतियों में बिल्टी नं. 2608 दिनांक 15.02.2009 भेजने वाला मैसर्स जितेन्द्र ट्रैडिंग कम्पनी व पाने वाला संजय ट्रेडर्स दिल्ली जिसमें 60 बोरी मूंग अंकित किया हुआ जिसमें ट्रक नं. आरजे14–जीबी

अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) जयपुर

–2507 है व बिल 1972 दिनांक 15.02.2009 मैसर्स जितेन्द्र ट्रैडिंग कम्पनी का 120 बोरी मूंग अंकित किया हुआ प्रस्तुत किये। इस प्रकार स्पष्ट है कि एक ही ट्रक नम्बर आरजे14–जीबी–2507 से एक ही दिनांक 15.02.2009 को एक ही ट्रांसपोर्टर की दो अलग–अलग बिल्टियों व एक फर्म द्वारा जारी व एक ही प्राप्तकर्ता फर्म को मूंग बेचना संदिग्धता को प्रकट करता है। मौके पर श्रीमान जिला रसद अधिकारी महोदया जयपुर ग्रामीण द्वारा जिला रसद अधिकारी अजमेर से दूरभाष पर वार्ता की गई जिसमें मैसर्स जितेन्द्र ट्रैडिंग कम्पनी नाम की कोई फर्म केसरगंज अजमेर में कार्यरत नहीं होना बताया गया तथा न ही मैसर्स जितेन्द्र ट्रैडिंग कम्पनी के बिल पर अंकित आरटीएल नं. 1041 अस्तित्व में है। इस प्रकार संदेह के आधार निर्देशानुसार वाहन चालक श्री अहमद की निशानदेही पर श्री भरत पारीक के साथ अनाज मण्डी बगरु में जाकर विस्तृत जांच की गई। जांच में पाया गया कि श्री भरत पारीक ने मूंग की खरीद श्री कमल खण्डेलवाल मालिक फर्म मैसर्स जगदम्बा ट्रैडिंग कम्पनी बगरु के साथ खुली बिक्री में की जाती है तथा श्री भरत पारीक के पास दाल दलहन का कोई अनुज्ञापत्र नहीं है जिसे अवैध रुप से फर्जी बिल्टियों के माध्यम से दिल्ली में बेचा जाता है। मौके पर मैसर्स जगदम्बा ट्रैडिंग कम्पनी की जांच की गई। वक्त जांच फर्म मालिक उपस्थित नहीं मिला एवं किसी प्रकार का दस्तावेज भी नहीं पाया गया। मौके पर फर्द मौका अलग से तैयार किया गया। वाहन चालक द्वारा प्रस्तुत बिलों व बिल्टियों की जांच करने पर ये सब संदिग्ध पाई गई। वक्त जांच श्री भरत पारीक मौके से फरार हो गया। इस प्रकार उपरोक्त कृत्य बिना अनुज्ञापत्र के दलहन का व्यापार किया जाना पाया गया जो राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापत्र एवं नियंत्रण) आदेश 1980 के प्रावधानों की स्पष्ट अवहलेना की है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः ट्रक संख्या आरजे–14–जीबी–2507 में भरी 90 बोरियों में 1–1 किलोग्राम के 3 सेम्पल लिये गये तथा बाद सेम्पल 89.970 क्विंटल मूंग मय बारदाना कब्जेराज लिया गया एवं सुरक्षा की दृष्टि से श्री नन्दकिशोर पुत्र श्री रामप्रताप केयर आफ मैसर्स श्याम ट्रैडिंग कम्पनी, बगरु की सुपुर्दगी में दिया गया। प्रकरण में पुलिस थाना बगरु में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 573 दिनांक 30–9–2009 दर्ज कराई जाकर जब्त किये गये वाहन संख्या आरजे–14–जीबी–2507 को पुलिस थाना बगरु की सुपुर्दगी में दिया गया। अतः श्रीमान से निवेदन है कि जब्तशुदा 90 क्विंटल मूंग मय बारदाना व ट्रक संख्या आरजे–1–जीबी–2507 को राजसात करने की कृपा करें। चूंकि मूंग खराब होने योग्य आवश्यक एवं जनहित की वस्तु है। अतः धारा 6ए(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश भी प्रदान करने की इस्तदुआ की है।

1. आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जब्त मूंग शीघ्र खराब होने वाली एवं जनहित की वस्तु होने से धारा 6–ए के तहत आदेश दिनांक 06.10.2009 को पारित किये जाकर जिला रसद अधिकारी जयपुर को निर्देशित किया गया कि जब्त मूंग का नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण कराया जाकर पालना प्रतिवेदन भिजवायें।

2. अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये।

3. अप्रार्थी की ओर से अभिभाषकगणों ने 4–11–2009 व 21–10–2009 को वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से जवाब पेश किया, जिसमें अंकित किया है कि उक्त प्रकरण में अप्रार्थी को मूंग के सौदे में दलाल बताया गया है जबकि अप्रार्थी का इस सौदे से कोई लेना देना नहीं है। उक्त जब्तशुदा माल किसके स्वामित्व का है, कहां से कहां भेजा जा रहा था अप्रार्थी को कोई जानकारी नहीं है। माननीय न्यायालय द्वारा माल को यदि राजसात किया जाता है तो अप्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है। अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से प्रतिउत्तर नोटिस एवं लिखित अभ्यावेदन पेश किया, जिसमें अंकित किया है कि उक्त प्रकरण में तथ्य पूर्ण रुप से गलत व मनगढंत दर्ज किये हैं तथा वास्तविकता को

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

छिपाया गया है। न्यायालय द्वारा अप्रार्थी को हैतुक दर्शित करने के लिये जो नोटिस दिया गया है उससे स्पष्ट नहीं है कि वह किस वस्तु के सम्बन्ध में जारी किया गया है। प्रकरण में जब्त ट्रक नम्बर आरजे–14–जीबी–2507 तथा उससे जब्त 90 बोरी मूंग से अप्रार्थी का कोई सम्बन्ध नहीं है। अप्रार्थी ना तो उक्त मूंग का स्वामी है ना ही मूंग को उक्त ट्रक से किसी को भेजी है। अप्रार्थी की फर्म के यहां दिनांक 30–09–2009 को उसके स्टॉक में मूंग का कोई स्टॉक नहीं था, केवल मात्र 18.80 क्विंटल तारामीरा था। अप्रार्थी की फर्म राजस्थान व्यापारिक वस्तु अनुज्ञापत्र एवं नियंत्रण आदेश 1980 के अन्तर्गत अनुज्ञतिधारी फर्म है। फर्म के यहां मूंग का कोई स्टॉक नहीं था ना ही मूंग उक्त तिथि को तथाकथित ट्रक में मण्डी से लदान कराई गई। प्रार्थना पत्र के साथ अहमद अप्रार्थी संख्या 1 के कथनों की प्रतिलिपि पेश की है उसमें भी अहमद द्वारा मूंग प्रार्थी के यहां से भरना नहीं बताया। अहमद द्वास मण्डी से ट्रक भरे जाने का कथन कतई गलत है, क्योंकि मण्डी से उस दिन कोई ट्रक मूंग का नहीं भरा गया और ना ही उक्त ट्रक की मण्डी में प्रवेश या निकास, मण्डी समिति के रिकार्ड में है। अप्रार्थी 1 से अभिग्रहीत किये गये बिल व बिल्टियों से अप्रार्थी संख्या 3 का कोई सम्बन्ध नहीं है। उक्त मूंग को सुपुर्दगीनामे पर छुडवाने हेतु श्री तारीक ने न्यायालय में आवेदन किया है, जिससे स्पष्ट है कि उक्त मूंग का अप्रार्थी से कोई लेना देना नहीं है। अतः अप्रार्थी संख्या 3 की विरुद्ध जारी किया गया नोटिस विड्रा किया जाकर उसके विरुद्ध कार्यवाही समाप्त फरमायी जाये। तत्पश्चात लम्बे समय तक सुनवाई पर रखे जाने के बाद भी अप्रार्थी संख्या 1 व 4 की ओर से जवाब पेश नहीं किया।

4. पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

5. प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा अवैध रुप से काम में लिये जा रहे मूंग के संबंध में कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया ना ही इस संबंध में कोई कागजात प्रस्तुत किये। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा अवैध रुप से मूंग का उपयोग करना, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा 90 क्विंटल मय बारदाना व ट्रक संख्या आरजे–14–जीबी–2507 को राजसात (Confiscate) करने एवं 6–ए(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

6. अप्रार्थी/अभिभाषक के लम्बे समय तक अनुपस्थित रहने के बावजूद पत्रावली बहस पर रखी गयी। लम्बे समय तक पत्रावली बहस हेतु नियत रहने के दौरान बार–बार आवाज लगवाई गयी, न्याय हित में अन्तिम अवसर भी दिया गया इस पर भी अप्रार्थीगण/अभिभाषकगण अनुपस्थित रहे।

7. हम पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन तथा पैरोकार सरकार की बहस पर मनन करने के उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि माननीय न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर द्वारा दिनांक 21.10.2009 को ट्रक के रिलीज आर्डर जारी किये गये जिसमें ट्रक मालिक रेशम सिंह को रुपये 5,00,000/– के जमानतनामे पर ट्रक संख्या आरजे–14–जीबी–2507 सौंपने के आदेश दिये गये। अप्रार्थी संख्या 4 ने पक्षकार बनने के लिये तथा जब्त मूंग की सुपुर्दगी बाबत प्रार्थना पत्र पेश किये। वाहन चालक अहमद के, अप्रार्थी संख्या 4 के पक्ष में बयान व जब्त मूंग बाबत अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के कोई उज्र पेश नहीं करने के बाद माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 09.12.2009 को जब्त मूंग को रुपये 2,00,000/– की बैंक गारंटी पर अप्रार्थी संख्या 4(ताहीर) को सौंपने के आदेश जिला रसद अधिकारी जयपुर ग्रामीण को दिये गये। तत्पश्चात अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा जब्त मूंग के व्यवसाय से संबंधित कोई वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाये ना ही कोई लिखित जवाब पेश किया गया। दौराने बहस भी अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। जिससे अप्रार्थी द्वारा

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

अवैध रुप से दलहन(मूंग) का व्यापार किया जाना पुष्ट होता है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना उचित पाते हैं।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 6–ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है तथा जब्तशुदा मूंग एवं मूंग के अवैध परिवहन में काम लिये जा रहे ट्रक संख्या आरजे–14–जीबी–2507 को राजसात करने के आदेश दिये जाते है। अतः उक्त जब्त वस्तुओं का नियमानुसार अंतिम निस्तारण किया जाकर राशि राजकोष में जमा कराई जावे।

9. जिला रसद अधिकारी जयपुर ग्रामीण को आदेशित किया जाता है कि वह राजसात किये गये सामान का नियमानुसार अंतिम निस्तारण करें।

10. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा जिला रसद अधिकारी जयपुर को प्रेषित की जावे। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

11. निर्णय आज दिनांक 01-07-2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate-III • JAIPUR •

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर